24

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1814—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—04—2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 457/अपील/2013—14.

.....

1—विश्वनाथ सिंह पिता स्व0 श्री महादेव सिंह
2—अमर पाल सिंह पिता स्व0 श्री महादेव सिंह
3—राजपाल सिंह पिता स्व0 श्री महादेव सिंह
निवासीगण ग्राम विझोली गहरबरान तहसील
हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—अवधराज सिंह पिता स्व0 श्री भेला सिंह
2— श्रीमती भगवानकुमारी सिंह पत्नी स्व0 श्री मगलेश्वर सिंह
3— सुदीप सिंह पिता स्व0 श्री मगलेश्वर सिंह
4— प्रभाकर सिंह पिता स्व0 श्री रघुनाथ सिंह
5— दिवाकर सिंह पिता स्व0 श्री रघुनाथ सिंह
6— क—कमला देवी पति स्व0 श्री तिलकराज सिंह
7— ख—लक्ष्मण सिंह तनय श्री तिलकराज सिंह
8— मेहश प्रताप सिंह पिता स्व0 श्री शिवशंकर सिंह (मृत)
वारिसान :—
अ—श्रीमती मनोरमा सिंह पत्नी स्व0 श्री मेहश प्रताप सिंह
ब—सूर्यदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री मेहश प्रताप सिंह
9— भीष्मदेव सिंह पिता स्व0 श्री शिवशंकर सिंह
10—श्रीमती विमला सिंह पिता श्री अवधराज सिंह
सभी निवासी ग्राम विझौली गहरबरान तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण
श्री रमाकांत पटेल, अभिभाषक, अनावेदक क—8
के वारिसान की ओर से

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक विश्वनाथ सिंह तनय श्री महादेव सिंह निवासी विझौली गहरबरान तहसील हनुमना द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत विझौली नामांतरण पंजी कमांक 19 आदेश दिनांक 26.1.11 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 21.4.14 अपील निरस्त की गई जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 457/अपील/2013–14 पर दर्ज कर दिनांक 30.4.2016 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण हिन्दू है और एक ही परिवार के सदस्य है, आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त स्वामित्व की पैतृक भूमियां हैं, उक्त भूमियों का विधि अनुसार बटवारा अभी नहीं हुआ है। आवेदक अधिवक्ता यह भी तर्क है कि 26.1.11 को अनावेदकगण आवेदकगण से छिपाकर ग्राम पंचायत विझौली के समक्ष बटवारा का एक आवेदन प्रस्तुत किये और सर्वोत्तम भूमियों को अपने हिस्से में दर्शाते हुये अपने प्रभाव का उपयोग कर बटवारा आदेश पारित करने का प्रयास किये, उसकी जानकारी होने पर आवेदकगण द्वारा उसी दिनांक को ग्राम पंचायत विझौली के समक्ष बटवारा के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की गई और अन्याय पूर्ण बटवारा स्वीकृत न किये जाने का निवेदन किया गया। आवेदकगण को ग्राम पंचायत विझौली द्वारा यह मौखिक आश्वासन दिया गया कि विवाद उत्पन्न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा बटवारा का आदेश पारित नहीं किया जावेगा, और

प्रकरण तहसीलदार हनुमना के समक्ष निराकरण हेतु संम्प्रेषित कर दिया जावेगा, जिसकी सूचना आप लोगों को समन के माध्यम से प्रदान की जावेगी। ग्राम पंचायत विझौली के उक्त आश्वासन पर विश्वास करते हुये आवेदकगण निश्चिन्त रहे, और समन की प्रतीक्षा करते रहे। अपने तर्क में यही भी कहा गया है कि परिसीमा काल की गणना जानकारी दिनांक से प्रारंभ होती है । ग्राम पंचायत विझौली के ओदेश दिनांक 26.1.11 के संबंध में दिनांक 20.7.11 को आवेदकगण को जानकारी प्राप्त हुई और दिनांक 21.7.11 को नकल का आवेदन पत्र दिया गया नकल प्राप्त होने पर दिनांक 4.8.11 को आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई जो नियमानुसार समयावधि में थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अवधि वाधित मानते हुये अपील खारिज की गई जो विधि विरूद्व है, इस कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि विधि का यह सिद्वांत है कि परिसीमा के संबंध में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यंत कठोर रूख अपनाते हुये अवधि के प्रश्न पर अपील निरस्त कर दी गई जो विधि विरूद्व है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे।

4–अनावेदकगण के अधिवकता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि बटवारे की पूर्ण जानाकारी आवेदकगण को थी और उनके द्वारा ग्राम पंचायत विझौली में अपनी सहमति दी थी उसी अनुसार बटवारा ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है और उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि आवेदकगण की निगरानी अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पुल्ली में उभयपक्ष की सहमति के हस्ताक्षर बने हैं बटवारा जबाव दावा में भी आवेदकगण के

हस्ताक्षर बने हैं । आवेदकगण द्वारा ग्राम सभा के समक्ष उपस्थित होकर सहमति दी गई है। ग्राम सभा द्वारा नामांतरण पंजी कमांक –19 में पारित आदेश दिनांक 26.01.2011 उभयपक्ष की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है। तदनुसार बटवारा पुल्ली के अनुसार बादग्रस्त भूमि का बटवारा नामांतरण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा–5 के आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदकगण द्वारा दिन प्रतिदिन के विलंब का जो कारण बताया गया था वह समाधानकारक नहीं था इसलिये अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा अपील अवधि वाह्य मानकर खारिज की थी, और अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा भी अनुाविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा का आदेश स्थिर रखा हुआ है। अतः अपर आयुक्त रीवा के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये उनका आदेश उचित होने से स्थिर रखने योग्य है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण '' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि '' तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं''।**

7– उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का प्रकरण कमांक 67/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21–04–2014 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 451/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.04.16 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर